न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 23/2017

1. पाला सिह उर्फ पाल सिह पुत्र दुर्गा सिह जाति बावरी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।--वादी--

बनाम

1. मेहर सिह पुत्र जीवन सिह जाति बावरी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
2. भागवन्ती पुत्री जीवन सिह जाति बावरी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
3. गुरनामो पुत्री जीवन सिह जाति बावरी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
4. सीतो पुत्री जीवन सिह जाति बावरी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
5. राजो पुत्री जीवन सिह जाति बावरी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। --प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 11-5-2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 56/47 के मु0 नं0 15 व 33 की कुल 8.678 नहरी मय बाग भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इसमे वादी 1.240 हैक्टर नहरी भूमि का मालिक राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। घरेलू बटवारा मे वादी को मु0 नं0 33 किला नं0 1,10,11,20 प्रत्येक मे 0.253 हैक्टर व किला नं0 21 मे 0.227 हैक्टर नहरी भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इस संबंध मे वादी के द्वारा घरू बटवारा अनुसार बटवारा करवाने हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। राजस्थान स्टेट को जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है और पूर्ण कोर्ट पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 1 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 56/47 के मु0 नं0 15 व 33 की कुल 8.678 हैक्टर नहरी मय बाग भूमि वादी को घरू बटवारा मे प्राप्त मु0 नं0 33 के किला नं0 1,10,11,20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर व किला नं0 21 के 0.227 हैक्टर कुल 1.240 हैक्टर नहरी रकबा का विधिवत बटवारा कर किला वाईज खाता कायम कर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री गंगाराम प्रसाद अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी के वाद पत्र के संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खरला मे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्राप्त रिपोर्ट मे वादी पाला सिह उर्फ पाल सिह की चक 1 एफएफ के मु0 नं0 33 के किला नं0 1,10,11,20,21 की कुल 1.240 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त बताई गई जिसके संबंध मे मजमेआम से जानकारी प्राप्त की गई एवं सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गये। मजमेआम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी की इन्ही किलाजात पर कब्जा काश्त होना जाहिर किया। कैम्प कोर्ट मे वादी को सुना गया।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं मजमेआम से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक चक 1 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 56/47 के मु0 नं0 15 व 33 की कुल 8.678 हैक्टर नहरी मय बाग भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

1. पाला सिह उर्फ पाल सिह पुत्र दुर्गा सिह जाति बावरी निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर का हिस्सा :- चक चक 1 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 56/47 के मु0 नं0 33 के किला नं0 1,10,11,20 की प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर, किला नं. 21 की 0.227 हैक्टर कुल 1.239 नहरी भूमि। **शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा।**

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिगरी जारी हो। पर्चा डिगरी जारी होने पर एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट 43 जीजी खरला मे मजमेआम मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{संदीप कुमार आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner